अध्याय-2
परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन

अध्याय - 2

परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन

यह अध्याय स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस सी एम) की उपलब्धियों के सम्बंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) में उल्लिखित कई 'स्मार्ट समाधान' क्रियान्वयन के दौरान हटा दिए गए या अपर्याप्त नियोजन और कार्यान्वयन के कारण निष्क्रिय थे, जबकि उनमें से कुछ को लागू किया गया था एवं वर्तमान में क्रियाशील थे। हालाँकि, दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर और ई-बस के पहल जैसी कुछ परियोजनाओं को व्यवहार्य राजस्व सृजन मॉडल की कमी के कारण स्थिरता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ₹ 6.17 करोड़ के निरर्थक व्यय के प्रकरण भी पाए गए। कुछ परियोजनाओं, विशेष रूप से जलापूर्ति के क्षेत्र में जैसे स्काडा, का भी सफल क्रियान्वयन पाया गया। कुल मिलाकर, एस सी एम के इच्छित उद्देश्य - मुख्य बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना, अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना एवं 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग को - आंशिक रूप से प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में एस सी एम के अंतर्गत निष्पादित कुछ परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ और उत्तम परिपाटियाँ भी शामिल हैं।

एस सी एम का उद्देश्य ऐसे शहरों को प्रोत्साहित करना था जो मुख्य अवसंरचना प्रदान कराते हैं और अपने नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण तथा 'स्मार्ट समाधानों' का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। सुस्थिर और समावेशी विकास पर ज़ोर दिया गया था तथा सघन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुये अनुकरणीय मॉडल तैयार करने का विचार था, जो अन्य इच्छुक शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, के रूप में कार्य करेगा। एस सी एम को दो तरीकों से क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी: क्षेत्र आधारित विकास (ए बी डी) और एक पैन-सिटी प्रयास। ए बी डी दृष्टिकोण में मौजूदा क्षेत्रों को पुनर्संयोजित और पुनर्विकास कर बेहतर योजनाबद्ध क्षेत्रों में परिवर्तित

करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे मौजूदा क्षेत्र में रहने योग्य गुणवत्ता में सुधार हो सके। पैन-सिटी विकास में मौजूदा शहर-व्यापी अवसंरचना में चयनित 'स्मार्ट समाधानों'[1] के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई थी। देहरादून के एस सी पी में उल्लिखित ए बी डी क्षेत्र, देहरादून के मुख्य पुराने शहर के 875 एकड़ क्षेत्र को शामिल करता है जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र ***(चित्र-2.1)*** में दर्शाया गया है:

चित्र-2.1: ए बी डी क्षेत्र

डी एस सी एल ने संशोधित स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस सी पी) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,359.80 करोड़ लागत की 33 परियोजनाओं की पहचान (सितंबर 2018) की थी। यद्यपि, एस सी एम के अंतर्गत ₹ 1,021.54 करोड़[2] लागत की कुल 22 परियोजनाएं[3] क्रियान्वित की गयी। देहरादून में एस सी एम के अंतर्गत कार्यान्वित कुल 22 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं ए बी डी के अंतर्गत जबकि शेष आठ परियोजनाएं पैन-सिटी पहल के अंतर्गत निष्पादित की गईं।

---

1 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग से शहरों को बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

2 फरवरी 2019 में चयनित ₹ 58.50 करोड़ लागत की सिटीस परियोजना भी शामिल है।

3 शेष 11 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹ 182.53 करोड़ थी, राज्य संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित की गईं।

2.1 एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

मार्च 2023 तक, 22 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं प्रगति पर थीं तथा 14 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थीं, जैसा कि निम्न **तालिका-2.1** में संक्षेप में एवं ***परिशिष्ट-1.1*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका-2.1: 31 मार्च 2023 तक परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय *(₹ करोड़ में)*	स्थिति	अवस्थिति
1	दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर	307.83	पूर्ण	पैन-सिटी
2	सिटी इनवेस्टमेंट टु इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन	58.50	प्रगति पर	
3	स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट (स्काडा)	53.40	पूर्ण	
4	इलैक्ट्रिक बस	41.56	पूर्ण	
5	स्मार्ट वेस्ट वेहिकल	21.28	पूर्ण	
6	वॉटर ए टी एम	1.98	पूर्ण	
7	स्मार्ट शौचालय	1.73	पूर्ण	
8	स्मारक ध्वज	0.10	पूर्ण	
9	स्मार्ट पोल	--	प्रगति पर	
10	इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग	204.46	प्रगति पर	ए बी डी क्षेत्र
11	स्मार्ट रोड	190.54	प्रगति पर	
12	वॉटर सप्लाई अगमेंटेसन एण्ड स्मार्ट मीटर्स	32.59	प्रगति पर	
13	इंटीग्रेटेड सीवेरेज वर्क	28.41	प्रगति पर	
14	परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार	20.87	पूर्ण	
15	इंटीग्रेटेड ड्रैनेज वर्क	16.27	प्रगति पर	
16	पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार	13.10	पूर्ण	
17	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	12.33	पूर्ण	
18	स्मार्ट स्कूल	6.05	पूर्ण	
19	पलटन बाज़ार के अग्रभाग का जीर्णोद्धार	4.79	प्रगति पर	
20	सिटिज़न इंगेजमेंट/ आउटरीच प्रोजेक्ट	1.00	पूर्ण	
21	क्रेच बिल्डिंग	0.90	पूर्ण	
22	डिजिटाईजेसन ऑफ कलेक्ट्रेट एण्ड सी डी ओ ऑफिस	0.61	पूर्ण	

परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रस्तावित स्मार्ट फीचर्स का नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा उनकी कार्यक्षमता के साथ-साथ स्थिरता, संचालन एवं रख-रखाव एवं उपयोग के संदर्भ में किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.2 एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन की समीक्षा

एस सी एम के अंतर्गत शहरों का चयन 'सिटी चैलेंज प्रक्रिया' के माध्यम से किया जाना था, जिसमें प्रत्येक शहर द्वारा तैयार एस सी पी में विजन, संसाधनों को जुटाने के लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन तथा स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट हों, का मूल्यांकन शामिल था। एस सी एम दिशा-निर्देशों ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह आशा की गई है कि एस सी पी में अवसंरचना सेवाओं और 'स्मार्ट समाधानों' की एक बड़ी संख्या को शामिल किया जाएगा।

देहरादून की मूल एस सी पी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए) द्वारा तैयार की गई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस एस सी पी को जून 2017 में मंजूरी दिए जाने के पश्चात, एक विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) के रूप में डी एस सी एल सितंबर 2017 में अस्तित्व में आया एवं इसने भारत सरकार को संशोधित एस सी पी प्रस्तुत की (सितंबर 2018)।

मूल एस सी पी से संबंधित अभिलेख, जिसके कारण एस सी एम के अंतर्गत देहरादून का चयन हुआ तथा डी एस सी एल द्वारा भारत सरकार को बाद में प्रेषित की गई संशोधित एस सी पी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, जैसा कि ***अध्याय-1*** के ***प्रस्तर-1.10*** में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्रासंगिक दस्तावेज़ के अभाव में, लेखापरीक्षा एस सी एम परियोजनाओं के चयन के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान (21 जून 2024), शासन ने लेखापरीक्षा के समक्ष मूल एवं संशोधित एस सी पी दोनों को बनाने से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना स्वीकार किया और बताया कि एम डी डी ए द्वारा सलाहकार प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स लिमिटेड की मदद से एस सी पी तैयार की गई थी। विभिन्न संशोधनों एवं नगर निगम, देहरादून के अनुमोदन के पश्चात, एस सी पी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि डी एस सी एल, एम डी डी ए, नगर निगम, देहरादून या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराएगा। हालाँकि, अभी तक (अक्टूबर 2024) लेखापरीक्षा को इसकी स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है।

2.2.1 चयनित परियोजना का कार्यान्वयन न होना

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.2 के अनुसार, स्मार्ट सिटी की ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 10 *प्रतिशत* सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति सौर ऊर्जा से प्राप्त करना, एस सी एम

के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं में से एक थी। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि संशोधित एस सी पी में ₹ 10 करोड़ लागत की "सौर ऊर्जा समाधान" परियोजना को शामिल किया गया था। तथापि, एस सी एम दिशा-निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद डी एस सी एल द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि "उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण" (उरेड़ा) द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके "सोलर रूफटॉप ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स" परियोजना संचालित की जा रही है। हालाँकि, डी एस सी एल द्वारा स्मार्ट सिटी की ऊर्जा आवश्यकता और योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के आच्छादन के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई विवरण/ साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। आगे, उरेड़ा से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि, "सोलर रूफटॉप ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स" योजना के अंतर्गत, देहरादून में 2018-19 से 2022-23 के मध्य कुल 10 सरकारी भवनों पर केवल 91 किलोवाट सौर क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए थे, जो शहर की ऊर्जा आवश्यकता के परिकल्पित न्यूनतम 10 *प्रतिशत* के सापेक्ष 0.02 *प्रतिशत* भी पूरा नहीं कर रहे थे।

2.2.2 एस सी पी से परे परियोजनाओं का कार्यान्वयन

एस सी पी दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6.1 के अनुसार, शहरों को अपने एस सी पी, जिसमें विजन, संसाधनों को जुटाने के लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट हो, को तैयार करने की आवश्यकता थी। तथापि, यह पाया गया कि दो परियोजनाएं - कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय का डिजिटलीकरण और स्मारक ध्वज को संशोधित एस सी पी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इन्हें एस सी एम के अंतर्गत क्रमशः ₹ 56.29 लाख और ₹ 9.28 लाख की लागत से क्रियान्वित किया गया था। डी एस सी एल ने दोनों परियोजनाओं को एस सी एम की परियोजना निधि से वित्त पोषित किया। कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय (सदर) के डिजिटलीकरण परियोजना का उद्देश्य कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर एवं स्कैनर खरीदना था। स्मारक ध्वज परियोजना के अंतर्गत दिलाराम चौक पर 30.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। हालाँकि, प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि कलेक्टर कार्यालय की डिजिटलीकरण परियोजना 08 सितंबर 2018 की एस सी पी

में शामिल थी, जबकि स्मारक ध्वज परियोजना को डी एस सी एल की 14 वीं बोर्ड बैठक (13 जुलाई 2020) में स्वीकृति दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित परियोजनाओं को संशोधित एस सी पी में शामिल नहीं किया गया था। आगे, स्मारक ध्वज परियोजना के लिए बोर्ड की कोई विशिष्ट स्वीकृति नहीं थी।

2.3 'स्मार्ट समाधानों' के कार्यान्वयन की समीक्षा

एस सी एम दिशा-निर्देशों के अनुसार, एस सी एम का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की माँग प्रशस्त करती है, से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल होगा।

उक्त दिशा-निर्देशों में उल्लिखित 'स्मार्ट समाधानों' के कुछ उदाहरणों में ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन और शहरी गतिशीलता शामिल हैं, जैसा कि ***अध्याय-1*** के ***प्रस्तर-1.1*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

डी एस सी एल ने एस सी एम के अंतर्गत 22 परियोजनाएं क्रियान्वित कीं, जिनमें से 15 परियोजनाओं में 'स्मार्ट समाधान'/प्रस्तावित सुविधाएं जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सेंसर, पर्यावरणीय सेंसर, परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, सी सी टी वी कैमरे इत्यादि की परिकल्पना की गई थी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, स्मार्ट रोड, पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाजार, स्मार्ट पोल और स्मार्ट शौचालय आदि जैसी परियोजनाओं के डी पी आर में प्रस्तावित कई सुविधाओं को डी एस सी एल के बोर्ड/ उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच पी एस सी) की स्वीकृति पर हटा दिया/ संशोधित किया गया और जो क्रियान्वित[4] किए गए वे पूरी तरह से क्रियाशील नहीं थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में बताया गया है तथा जिसकी चर्चा ***प्रस्तर 2.4*** एवं ***प्रस्तर 2.5*** के अंतर्गत केस स्टडीज में की गई है।

[4] रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, स्मार्ट ट्रैफिक सेंसर, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन, वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले, इमर्जेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पर्यावरण सेंसर, आर एफ आई डी टैग/प्रणाली, सेंसर आधारित नल, ऑटो फ्लश यूरिनल सिस्टम, इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-सामग्री, सी सी टी वी और उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि एस सी एम दिशा-निर्देशों में बताया गया है, "इंटीग्रेटेड ड्रैनेज कार्य" परियोजना में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं तूफानी जल के पुनः उपयोग जैसे 'स्मार्ट समाधानों' को शामिल करने के प्रावधान था। तथापि, डी पी आर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, और इन नवाचार समाधानों को लागू करने के बजाय, केवल नई नालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि चयनित स्थलों पर भारी यातायात और जगह की कमी के कारण नियोजित कार्य को पूरा करना अव्यवहारिक था। उक्त कथित क्रियान्वित स्मार्ट फीचर्स के गैर-कार्यशील होने के संबंध में, यह बताया गया कि डी एस सी एल संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मार्ट फीचर्स क्रियाशील हो जाएं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों पर योजना बनाते समय विचार कर इनका समाधान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मार्ट फीचर्स चालू हैं तथा उनके संचालन और रख-रखाव पर जोर दिया जा रहा है।

2.4 परियोजनावार विश्लेषण

एस सी एम के अंतर्गत, डी एस सी एल ने ए बी डी क्षेत्र और पैन-सिटी में 22 परियोजनाओं[5] को क्रियान्वित किया। निम्नलिखित प्रस्तरों में 13 परियोजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर

इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर्स अनेक प्रौद्योगिकी प्रणालियों/ अनुप्रयोगों से निपटने की जटिलताओं को, उन्हें एक समान मंच पर एकीकृत करके, कम करते हैं, ताकि वास्तविक समय की सूचनाओं का उपयोग करके सूचित निर्णय लिए जा सके। दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (डी आई सी सी सी) परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सहयोगात्मक ढाँचा स्थापित करना था, जिसमें परिवहन, अग्निशमन, पुलिस,

[5] 13 परियोजनाओं में विस्तृत जाँच की गई 10 परियोजनाएं, प्रस्तर 2.5 में दो परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ एवं प्रस्तर 2.6 में एक परियोजना (स्काडा) से संबंधित उत्तम परिपाटियाँ शामिल हैं। शेष नौ परियोजनाओं में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाये गए।

मौसम विज्ञान आदि जैसे विभिन्न कार्यात्मक विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एक ही मंच पर संकलित और विश्लेषित किया जा सके; जिसके परिणामस्वरूप नगर-स्तर की समेकित जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, इस समेकित नगर-स्तरीय जानकारी को कार्यवाही योग्य सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संबंधित हितधारकों एवं नागरिकों तक समन्वित एवं सहयोगपूर्ण तरीके से पहुँचाया जा सके।

डी आई सी सी सी और अन्य एकीकृत 'स्मार्ट समाधान' स्थापित करने हेतु, डी एस सी एल एवं मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर[6] (एम एस आई) के मध्य ₹ 294.43 करोड़[7] की कुल लागत का एक अनुबंध हस्ताक्षरित (22 जुलाई 2019) किया गया, जिसकी पूर्ण होने की तिथि 21 मई 2020 निर्धारित थी। डी आई सी सी सी परियोजना में ₹ 4.05 करोड़ (पूंजीगत व्यय) और ₹ 7.21 करोड़ (परिचालन व्यय) की लागत वाले कार्य के दायरे को कम करने के पश्चात, लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2023) तक परियोजना पर ₹ 258.46 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें ₹ 223.12 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल था, जिसे ***परिशिष्ट-2.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। डी आई सी सी सी 15 मार्च 2022 से परिचालन में आया, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सक्षम प्रणालियाँ[8] शामिल हैं, जिनमें वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, कैमरे, सेंसर, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर आदि जैसे कई एंड-डिवाइसेज़ थीं। डी आई सी सी सी परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.4.1.1 एंड-डिवाइसेज़ की कम परिचालन उपलब्धता

सर्विस लेवल एग्रीमेंट[9] की शर्त 50.4 में प्रावधान है कि फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम-लाउडस्पीकर, पर्यावरणीय सेंसर, स्मार्ट ट्रैफिक डिटेक्टर (सेंसर और कंट्रोलर), सी सी टी वी और अन्य उपकरणों के लिए न्यूनतम अपटाइम 97 *प्रतिशत* होना चाहिए, जिसे मासिक आधार पर मापा जाना था।

डी आई सी सी सी के कार्य करने हेतु, पब्लिक एड्रेस सिस्टम-लाउडस्पीकर, पर्यावरणीय सेंसर, स्मार्ट ट्रैफिक डिटेक्टर (सेंसर और कंट्रोलर), सी सी टी वी आदि जैसे कई

---

6 मैसर्स ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एच पी ई)।

7 पूंजीगत व्यय: ₹ 227.90 करोड़ और परिचालन व्यय: ₹ 66.53 करोड़ (अंतिम गो-लाइव की तिथि से 60 महीने के लिए)।

8 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ए टी सी एस), इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई टी एम एस), सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि।

9 एम एस आई के साथ अनुबंध का एक हिस्सा।

एंड-डिवाइसेज़ स्थापित किए गए थे। इन एंड-डिवाइसेज़ की कार्यात्मक उपलब्धता मुख्य रूप से नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिजली पर निर्भर थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा डी एस सी एल के प्रतिनिधियों के साथ किए गए डी आई सी सी सी परियोजना के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (07 नवंबर 2023) के दौरान, एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता को कम पाया गया, जैसा कि निम्न **तालिका-2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2: एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता

क्र. सं	एंड डिवाइस का नाम	स्थापित डिवाइसेज़ की संख्या	परिचालन स्थिति		एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता *प्रतिशत* में
			सक्रिय	निष्क्रिय	
1	ट्रैफ़िक लाइट्स	49	36	13	73
2	सर्विलांस कैमरे	517	505	12	98
3	रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आर एल वी डी)	105	56	49	53
4	ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ए एन पी आर)	29	20	09	69
5	स्मार्ट ट्रैफ़िक सेंसर (ए एवं बी)	76	21	55	28
6	स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (एस वी डी)	04	02	02	50
7	वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (वी एम डी) बोर्ड	50	27	23	54
8	इमर्जेंसी कॉल बॉक्स (ई सी बी)	107	60	47	56
9	पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी ए एस)	24	17	07	71
10	पर्यावरणीय सेंसर	50	27	23	54

सर्विलांस कैमरों की संचालनात्मक उपलब्धता 98 *प्रतिशत* थी, जबकि अन्य एंड-डिवाइसेज़ की न्यूनतम 97 *प्रतिशत* परिचालन उपलब्धता के सापेक्ष 28 से 73 *प्रतिशत* तक थी।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया कि विभिन्न स्थानों पर एंड-डिवाइसेज़ के अप्रत्याशित विघटन के कारण एंड-डिवाइसेज़ की परिचलान उपलब्धता कम थी। डी एस सी एल एंड-डिवाइसेज़ को यथाशीघ्र पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है।

2.4.1.2 अक्रियाशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉड्यूल

एम एस आई के साथ अनुबंध की शर्त 4.15.1 के अनुसार, नगर निगम देहरादून घर-घर से कूड़े के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, डंपिंग और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी था। मौजूदा ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रक्रिया में संग्रहण समय एवं क्षेत्र के संबंध में जानकारी का अभाव; निगरानी, संग्रह और परिवहन वाहनों की ट्रैकिंग के लिए उचित प्रणाली का अभाव आदि जैसी कई समस्याएं थी।

इन समस्याओं के समाधान हेतु, वास्तविक समय में पूरे अपशिष्ट संग्रह प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए डी एस सी एल ने एम एस आई के माध्यम से डी आई सी सी परियोजना के ई-गवर्नेंस समाधानों के अंतर्गत एक बायोमेट्रिक और सेंसर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस डब्ल्यू एम) मॉड्यूल विकसित किया (मार्च 2022)। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस), रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आर एफ आई डी) टैग/ क्विक रिस्पॉन्स (क्यू आर) कोड आदि जैसे विभिन्न स्मार्ट फीचर्स थे। इसके लिए, ₹ 1.59 करोड़ की लागत वाले कार्य के दायरे को कम करने के पश्चात, ₹ 4.55 करोड़ की लागत से विभिन्न नवीनतम आई सी टी घटक[10] स्थापित किए गए थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल को 15 मार्च 2022 को गो-लाइव किया गया था। तथापि, ई-गवर्नेंस सॉल्यूशंस में उपलब्ध विभिन्न प्रतिवेदनों[11], जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, से यह प्रदर्शित हुआ कि नगर निगम देहरादून द्वारा एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल गो-लाइव होने के पश्चात से उपयोग नहीं किया गया था। डी एस सी एल द्वारा (अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022) एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु नगर निगम, देहरादून को विभिन्न पत्र प्रेषित किये गए थे, परंतु मॉड्यूल का उपयोग फरवरी 2025 तक नहीं किया जा सका। अतः एस डब्ल्यू एम प्रक्रिया की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी तथा व्यापक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी तथा ₹ 4.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और आश्वासन दिया गया कि एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल का उपयोग करने हेतु नगर निगम देहरादून के साथ पत्राचार किया जाएगा। यदि नगर निगम देहरादून द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे लागू किया जाएगा और मॉड्यूल नगर निगम, देहरादून को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच पी एस सी एवं अंतर विभागीय समन्वय टास्क फोर्स के अस्तित्व में रहने के बावजूद भी, एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल का उपयोग सुनिश्चित

---

[10] आर एफ आई डी रीडर (कंट्रोलर के साथ), क्यू आर कोड, आर एफ आई डी टैग, बिन लेवल सेंसर, जी पी एस, बायोमेट्रिक फेस रेकोगनेशन डिवाइस, मोबाइल और वेइंग ब्रिज कंट्रोलर।

[11] एम आई एस रिपोर्ट, जैसे डोर-टू-डोर वाहन विवरण, हाउस होल्ड बिन संग्रह रिपोर्ट, वाहन फेरा रिपोर्ट, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह विवरण रिपोर्ट, भार रिपोर्ट, आदि।

करने में शासन एवं डी एस सी एल असमर्थ रहे और एस डब्ल्यू एम प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन हेतु पारदर्शी और व्यापक तंत्र प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.1.3 आपदा रिकवरी साईट स्थापित न किया जाना

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपदा रिकवरी सर्वोत्तम परिपाटियाँ संस्करण 1.0 के अनुसार, सभी विभागों के लिए आपदा रिकवरी सेटअप को अपनाना आवश्यक है जिससे कि सरकारी कार्यों की निरंतरता तथा डेटा/एप्लिकेशन की दृढ़ता बनी रहे। आपदा रिकवरी का उद्देश्य विभागों को किसी भी आपदा[12] के प्रभाव से सुरक्षित रखना है। इसके माध्यम से विभाग किसी आपदा के बाद शीघ्रता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पुनः आरंभ कर सकता है।

राज्य डेटा सेंटर नीति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के सभी अनुप्रयोगों के लिए एक समान आपदा रिकवरी साइट होनी चाहिए। इस संदर्भ में, डी एस सी एल बोर्ड (मार्च 2021) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई टी डी ए), उत्तराखण्ड शासन, में आपदा रिकवरी साईट स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए डी एस सी एल को आई टी डी ए को किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, आई टी डी ए की एक बैठक (अगस्त 2021) में, यह निर्णय लिया गया कि डी एस सी एल द्वारा आई टी डी ए को प्रति वर्ष ₹ 57.22 लाख (संचालन और रख-रखाव सहित) का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल प्राधिकारियों ने स्वयं अथवा आई टी डी ए द्वारा आपदा रिकवरी साईट की स्थापना को सुनिश्चित किए बिना ही, डी आई सी सी सी परियोजना को 15 मार्च 2022 को अंतिम गो-लाइव के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह उल्लेखनीय है कि डी आई सी सी सी, आई टी डी ए एवं राज्य डेटा केंद्र एक ही भवन में स्थित हैं और यह क्षेत्र आपदा संभावित क्षेत्र (भूकंपीय क्षेत्र-IV) में आता है। हाल ही में, 25 अगस्त 2021 एवं 08 अगस्त 2023 को बादल फटने के कारण डी आई सी सी सी क्षेत्र में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

---

[12] मानव त्रुटि, आग या विस्फोट, बिजली की कमी, महामारी/दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित सिस्टम अपडेट और पैच, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपदा रिकवरी सर्वोत्तम परिपाटियाँ संस्करण 1.0 में दिया गया है।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया गया कि आई टी डी ए द्वारा आपदा रिकवरी साईट स्थापित किया जा रहा था, जिसके लिए एक सर्वर बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वर को समान नागरिक संहिता से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया था। अतः आपदा रिकवरी साईट की अनुपस्थिति में, डी आई सी सी सी के महत्वपूर्ण संचालन पर जोखिम बना रहा।

2.4.1.4 सुरक्षा अंकेक्षण न किया जाना

भारतीय सरकारी वेबसाइटों हेतु दिशानिर्देशों (जनवरी 2009) के प्रस्तर 7.7 और 7.7.1 के अनुसार, वेब अनुप्रयोगों की सुरक्षा वेबसाइट के स्वामियों तथा उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशानिर्देश में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वेबसाइट/ अनुप्रयोग को होस्ट करने से पहले तथा नए मॉड्यूल जोड़ने के बाद, अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं से सुरक्षा अंकेक्षण करवाना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, एन आई सी-सी ई आर टी द्वारा जारी (नवंबर 2017) वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देश संस्करण 1.0 के अनुसार, सुरक्षा अंकेक्षण हर छः माह में या जब भी सोर्स कोड में कोई परिवर्तन किया जाए, तब किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी आई सी सी सी के साथ एकीकृत 14 अनुप्रयोगों का सुरक्षा अंकेक्षण, डी एस सी एल द्वारा किए गए अनुबंध (08 जनवरी 2021) के अंतर्गत नियुक्त तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक[13] द्वारा जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच किया गया था, अर्थात् डी आई सी सी सी परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान, क्योंकि अंतिम गो-लाइव से पहले यह अनिवार्य था। तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक के साथ हुए अनुबंध में भविष्य में अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षा अंकेक्षण कराने का कोई प्रावधान नहीं था। इन अनुप्रयोगों के सुरक्षा अंकेक्षण प्रमाणपत्रों की वैधता 09 फरवरी 2023 को समाप्त हो गई थी। पाँच अनुप्रयोगों[14] के संस्करण में परिवर्तन होने और सुरक्षा अंकेक्षण प्रमाणपत्रों

---

13 मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।

14 (i) अनुकूलनीय यातायात नियंत्रण प्रणाली (संस्करण टी आई एस 3.2.4.2), (ii) ई-गवर्नेंस सिटिज़न पोर्टल एप्लिकेशन (संस्करण 2.0), (iii) यातायात निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन (संस्करण 4.2.0), (iv) यातायात प्रवर्तन प्रणाली एप्लिकेशन (संस्करण 15.0.0), और (v) स्वचालित नंबर प्लेट रीडर एप्लिकेशन (संस्करण 9.5.0)।

की अवधि समाप्त होने के बावजूद, 10 फरवरी 2023 से इन अनुप्रयोगों का सुरक्षा अंकेक्षण नहीं कराया गया था। यह लापरवाही तथा उपर्युक्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि वेब अनुप्रयोगों की सुरक्षा वेबसाइट के स्वामियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित सुरक्षा अंकेक्षण के अभाव में इन अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे डेटा और सेवाओं की अखंडता, गोपनीयता तथा उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिससे डेटा चोरी, अनधिकृत पहुंच और अन्य गंभीर सुरक्षा घटनाएं हो सकती हैं। अतः इन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुरक्षा अंकेक्षण को प्राथमिकता देना और संपन्न करना अत्यावश्यक था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और अवगत कराया गया कि डी आई सी सी सी अनुप्रयोग का सुरक्षा अंकेक्षण मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण निदेशालय टीम द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

2.4.1.5 डी आई सी सी सी में राजस्व सृजन मॉडल का अभाव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जून 2021 में एक मार्गदर्शिका नोट जारी किया, जिसमें विभिन्न आई टी अवसंरचनाओं के लिए व्यवहार्यता और व्यवहारिकता के आधार पर राजस्व सृजन/मुद्रीकरण रणनीति का चिन्हीकरण और कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया था, ताकि डी आई सी सी सी अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम एस आई द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापन, स्मार्ट वाई-फाई, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों से रॉयल्टी, डेटा मुद्रीकरण आदि के माध्यम से राजस्व सृजन के संबंध में दी गई अनुशंसाओं के बावजूद, डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी के गो-लाइव के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई राजस्व सृजन मॉडल न तो तैयार किया और न ही लागू किया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि डी आई सी सी सी परियोजना की स्थिरता हेतु राजस्व सृजन के विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण किया जाएगा। यह भी अवगत कराया गया

कि डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी परियोजना के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई टी एम एस) अनुप्रयोग का उपयोग करके यातायात पुलिस विभाग द्वारा चालानों के माध्यम से एकत्रित की गई राशि के राजस्व साझेदारी हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी आई सी सी सी के गो-लाइव के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डी एस सी एल ने न तो अपना कोई राजस्व सृजन मॉडल तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास किए और न ही एम एस आई द्वारा सुझाए गए राजस्व सृजन मॉडल को अपनाया। अतः राजस्व सृजन मॉडल के अभाव में, डी एस सी एल पूरी तरह केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर रहा।

2.4.1.6 पर्यावरणीय सेंसरों पर ₹ 2.62 करोड़ का निष्फल व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प्र नि बो) के अंतर्गत शहर में तीन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (ए क्यू एम एस) और एक निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी ए क्यू एम एस) पहले से ही कार्यरत होने के बावजूद, अनुमोदित डी पी आर (दिसंबर 2018) के अनुसार, डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जनवरी 2020 में उ प्र नि बो से परामर्श किए बिना ₹ 2.37 करोड़ की लागत से 50 पर्यावरणीय सेंसर खरीदे और नवंबर 2020 में स्थापित किए। ये सेंसर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित (नवंबर 2009) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों[15] का पालन नहीं करते थे, क्योंकि ये पर्यावरणीय सेंसर बारह में से छः[16] मानकों को मापने में सक्षम नहीं थे, जैसा कि उ प्र नि बो ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2020 में भी इंगित किया था। अतः शहर में वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्डों पर प्रदर्शित वायु गुणवत्ता सूचकांक इन सेंसरों के डेटा पर आधारित नहीं था, बल्कि इसे उ प्र नि बो द्वारा प्रदत्त डेटा के आधार पर प्रदर्शित किया जा रहा था। गो-लाइव के बाद, डी एस सी एल ने इन सेंसरों के संचालन और रख-रखाव पर ₹ 24.76 लाख (दिसंबर 2023 तक) का व्यय भी किया।

---

[15] सल्फर डाइऑक्साइड (एस ओ$_2$), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एन ओ$_2$), कण प्रदूषण (पी एम 10), कण प्रदूषण (पी एम 2.5), ओजोन (ओ$_3$), लेड (पी बी), कार्बन मोनोऑक्साइड (सी ओ), अमोनिया (एन एच$_3$), बेंजीन (सी$_6$ एच$_6$), बेंजो (ए) पाइरीन (बी ए पी), आर्सेनिक (ए एस) और निकल (एन आई)।

[16] लेड (पी बी), अमोनिया (एन एच$_3$), बेंजीन (सी$_6$ एच$_6$), बेंजो (ए), पाइरीन (बी ए पी), आर्सेनिक (ए एस) और निकल (एन आई)।

इस प्रकार, उ प्र नि बो के संचालित ए क्यू एम एस और सी ए क्यू एम एस की उपलब्धता के बावजूद पर्यावरण सेंसरों की स्थापना पर ₹ 2.62 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया गया कि डी एस सी एल, उ प्र नि बो के परामर्श से इन पर्यावरण सेंसरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर उपयोग करने का प्रयास करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी एस सी एल द्वारा स्थापित पर्यावरण सेंसर 12 निर्धारित मानकों में से केवल छ: को ही मापने में सक्षम थे, जिसे उ प्र नि बो ने भी उजागर किया था। अत: स्थानों का परिवर्तन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

2.4.1.7 परियोजनाओं का समन्वय न होने के कारण ₹ 70.29 लाख की देयता का सृजन

एस सी एम की डी आई सी सी सी परियोजना के अंतर्गत, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज (एच पी ई, इंडिया) द्वारा ट्रैफिक चौराहों, बस शेल्टरों एवं अन्य स्थानों पर विभिन्न आई टी उपकरण एवं वी एम डी लगाए गए थे। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि डी आई सी सी सी परियोजना के पूर्ण होने (मार्च 2022) के बाद, लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) खण्डों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से तथा डी एस सी एल द्वारा एस सी एम के अंतर्गत विभिन्न ट्रैफिक चौराहों, बस शेल्टरों एवं अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य किए गए। इसलिए, डी आई सी सी सी परियोजना के अंतर्गत स्थापित वी एम डी एवं अन्य आई टी उपकरणों को हटाना पड़ा। आगे यह भी पाया गया कि एच पी ई (इंडिया) ने उपकरणों को हटाने के लिए ₹ 0.12 करोड़ की लागत प्रतिपूर्ति एवं उपकरणों की पुनः स्थापना के लिए ₹ 1.91 करोड़ का आगणन प्रस्तुत किया (नवंबर 2023)।

लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया की ₹ 70.29 लाख की अनुमानित लागत, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3*** में वर्णित है, स्मार्ट रोड परियोजना के संरेखण में पड़ने वाले 16 ट्रैफिक जंक्शनों पर आई टी उपकरणों को हटाने एवं पुनः स्थापित करने से संबंधित थी। इस प्रकार, एस सी एम के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का समन्वय न होना, नियोजन की कमी, विभागों के बीच समन्वय की कमी और स्मार्ट रोड परियोजना के क्रियान्वयन में हुये विलम्ब के कारण ₹ 70.29 लाख की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी उत्पन्न हुई।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि स्मार्ट रोड परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों को हटाने एवं पुनःस्थापना की गतिविधियाँ की गईं, जिसके लिए सड़क संरेखण में आने वाले चौराहों पर स्थापित आई टी उपकरणों को अस्थायी रूप से हटाना आवश्यक हो गया था। एच पी ई (इंडिया) द्वारा प्रस्तुत लागत प्रतिपूर्ति एवं आगणन इन परियोजनाओं की निर्भरता और आवश्यकताओं के कारण किए गए आवश्यक व्यय को दर्शाते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों ही परियोजनाएँ अर्थात डी आई सी सी एवं स्मार्ट रोड एस सी एम के अंतर्गत थीं, अतः डी एस सी एल को ₹ 70.29 लाख की वित्तीय देनदारी से बचने के लिए समन्वय करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, इसने स्थापित आई टी उपकरणों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित किया जैसा कि उपरोक्त ***प्रस्तर 2.4.1.1*** में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

2.4.2 पी पी पी मोड पर स्मार्ट पोल

डी एस सी एल ने शहर में "स्मार्ट पोल" (जैसा कि पार्श्व ***चित्र-2.2*** में दिखाया गया है) के माध्यम से कई सेवाएँ जैसे वाई-फाई, वार्म एल ई डी ल्यूमिनरीज, सी सी टी वी कैमरा, दूरसंचार सेवाएँ और पर्यावरण निगरानी सेंसर प्रदान करने के लिए संशोधित एस सी पी में "स्मार्ट पोल" परियोजना की योजना बनाई। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, डी एस सी एल ने अनुबंध की तिथि से 12 महीने की क्रियान्वयन अवधि के दौरान लगभग 100 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ़ सी) के साथ 130 स्मार्ट पोल की आपूर्ति, स्थापना और रख-रखाव के लिए एक कन्सेसनेयर[17] के साथ पी पी पी/बी ओ टी मोड पर एक अनुबंध (जनवरी 2020) किया। स्मार्ट पोल्स की स्थापना से प्रति वर्ष ₹ 55.40 लाख की

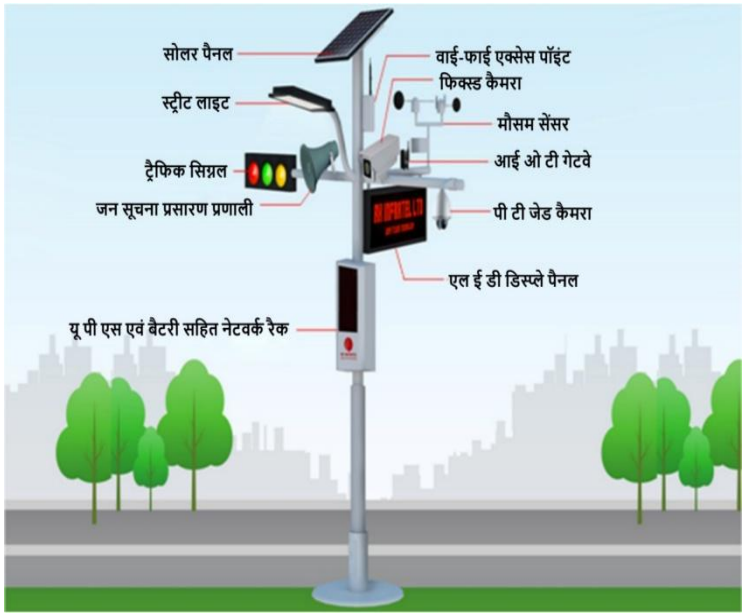

चित्र-2.2: स्मार्ट पोल

[17] मै. इंडस टावर लिमिटेड।

राजस्व प्राप्ति के स्रोत का भी सृजन हुआ (द्वितीय वर्ष के आगे से इसमें पाँच *प्रतिशत* की वृद्धि होनी थी)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन की निर्धारित तिथि अर्थात जनवरी 2021 से लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका। अक्टूबर 2023 तक 130 स्मार्ट पोल और 100 किमी ओ एफ सी में से केवल 27 स्मार्ट पोल और 70 किमी ओ एफ सी ही स्थापित/ बिछाई गई थी।

स्मार्ट पोल न लगाए जाने का मुख्य कारण डी एस सी एल द्वारा आवश्यक स्थल उपलब्ध न कराना था। अनुबंध के अनुसार, डी एस सी एल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर स्मार्ट पोल के लिए स्थल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य था। हालाँकि, जुलाई 2021 तक, डी एस सी एल ने पोल लगाने के लिए केवल 23 स्थल उपलब्ध कराये थे। अगले दो वर्षों में, अक्टूबर 2023 तक, डी एस सी एल स्मार्ट पोल के लिए केवल चार अतिरिक्त स्थल ही उपलब्ध करा पाया।

स्मार्ट फीचर्स के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकांश स्मार्ट फीचर्स, स्थापित स्मार्ट पोल्स में मौजूद नहीं थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में विस्तृत रूप से बताया गया है। डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ किए गए छः पोल्स के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (14 नवंबर 2023) में लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल चार पोल ही दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जिससे जुलाई 2023 तक ₹ 32.21 लाख[18] का राजस्व प्राप्त हुआ। शेष दो पोल[19], दो वर्ष से स्थापित होने के बावजूद कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन पर आवश्यक उपकरण[20] नहीं लगाए गए थे।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, शासन ने अवगत कराया कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रस्तावित स्थापना स्थलों का आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित लाइन विभागों से नहीं लिया गया था। डी एस सी एल अब अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। स्मार्ट फीचर्स की स्थापना न किए जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया, हालाँकि, डी एस सी एल के प्रबंधन ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि पोल के लिए

---

[18] ₹ 32.21 लाख = ₹ 13.09 लाख + ₹ 13.75 लाख + ₹ 2.75 लाख + ₹ 2.62 लाख।

[19] पुलिस अधीक्षक, यातायात कार्यालय के पास (दून अस्पताल के पास) एवं राजपुर रोड, स्कोलर्स होम विद्यालय के पास।

[20] वाई-फाई उपकरण, स्मार्ट वार्म एल ई डी लाइट, सी सी टी वी, पर्यावरण निगरानी सेंसर एवं डिजिटल बिलबोर्ड।

चयनित स्थल स्मार्ट फीचर्स के उपयोग के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं थे और दो अप्रयुक्त स्मार्ट पोल केवल फाइबर मीडिया के साथ संचालित करने हेतु स्थापित किए गए थे। संबंधित लाइन विभागों से अनुमति न मिलने के कारण फाइबर बिछाने/ कनेक्टिविटी का कार्य लंबित था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों को योजना बनाते समय विचार कर सुलझाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध को समाप्त करने के लिए डी एस सी एल का कथन, एस सी एम के अंतर्गत परिकल्पित लाभों को विफल कर देगा।

2.4.3 इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्रावधान है कि आगणनों को विवेकपूर्ण शुद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। तकनीकी विशिष्टियाँ, लागत निर्धारण, लागत लाभ विश्लेषण, स्थल का सर्वेक्षण और भूमि की उपलब्धता से संबंधित परीक्षण जैसी निर्धारित औपचारिकताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एस सी एम के अंतर्गत डी एस सी एल द्वारा प्रस्तुत संशोधित एस सी पी में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने हेतु जिला-स्तरीय कार्यालयों को केंद्रीकृत करने के लिए "इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग" (ग्रीन बिल्डिंग) का निर्माण शामिल था। शुरुआत में, इस भवन में सात मंजिलों के साथ एक विशाल बेसमेंट की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रशासनिक विभागों को समायोजित करना था।

“ग्रीन बिल्डिंग” परियोजना को एच पी एस सी ने ₹ 204.46 करोड़[21] की लागत से अनुमोदित (जुलाई 2019) किया था। उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ प नि) के स्वामित्व वाली भूमि[22] पर प्रस्तावित “ग्रीन बिल्डिंग” का निर्माण, कार्यदायी संस्था सी पी डब्ल्यू डी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019) के अनुसार दिसंबर 2021 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों के बावजूद, कानूनी बाधाओं के कारण प्रस्तावित स्थल को डी एस सी एल को हस्तांतरित नहीं किया जा सका। एच पी एस सी की बैठक (नवंबर 2020) में, मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, मौजूदा कार्यालयों को स्थानांतरित

---

[21] ₹ 204.46 करोड़ = ₹ 184.46 करोड़ (भवन के निर्माण हेतु) + ₹ 20.00 करोड़ (यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उ प नि को भुगतान किया गया), जिसमें से अक्टूबर 2020 में डी एस सी एल को ₹ 19.60 करोड़ वापस कर दिए गए।

[22] हरिद्वार रोड पर उ प नि की मौजूदा कार्यशाला क्षेत्र में।

करने में व्यावहारिक समस्याओं के कारण यह स्थल अव्यवहार्य साबित हुआ। तत्पश्चात, अगस्त 2022 में, ग्रीन बिल्डिंग के लिए नियोजित उसी स्थल को उ प नि से खरीदने का निर्णय लिया गया। अंततः सरकार ने प्रस्तावित स्थल के बदले उ प नि को भूमि उपलब्ध कराई और प्रस्तावित भूमि शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई (दिसंबर 2022)। इसके बाद, डी एस सी एल बोर्ड बैठक में नौ मंजिल और दो बेसमेंट (लागत ₹ 216.91 करोड़) के संशोधित दायरे की स्वीकृति (नवंबर 2023) के पश्चात, परियोजना मार्च 2024 में ही शुरू हो सकी। सितंबर 2024 तक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 10 *प्रतिशत* और ₹ 10.63 करोड़ थी। यह दर्शाता है कि डी एस सी एल/ एच पी एस सी के पास परियोजना के लिए रणनीतिक योजना का अभाव था, क्योंकि यह किसी अन्य विभाग से भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था, न ही इसने पूंजीगत परियोजना से जुड़े जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन किया।

इस प्रकार, परियोजना के प्रस्ताव से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में बजट मैनुअल का पालन न किए जाने के कारण ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य अनुमोदन के चार वर्ष बाद ही प्रारम्भ हो सका, जिससे सामान्य जन को प्राप्त होने वाली अपेक्षित सुविधा में भी विलंब हुआ।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि अब ₹ 206.00 करोड़ की संशोधित लागत से छः मंजिलों और दो बेसमेंट के साथ ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है (फरवरी 2024), एवं तदनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया है।

शासन का उत्तर स्वयं राज्य बजट मैनुअल के उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.54 करोड़[23] की अतिरिक्त लागत आई और ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

2.4.4 इलेक्ट्रिक बस

प्रदूषण को कम करने और परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग करने के समग्र कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु एक नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से "इलेक्ट्रिक बस" परियोजना (लागत ₹ 41.56 करोड़) को मंजूरी

[23] ₹ 21.54 करोड़ = ₹ 206.00 करोड़ (संसोधित परियोजना लागत) - ₹ 184.46 करोड़ (उ प नि की यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत को छोड़कर प्रारंभिक स्वीकृत लागत)।

(जून 2019) दी गई। डी एस सी एल ने एक फर्म[24] के साथ "पूर्ण निर्मित 30 वातानुकूलित शुद्ध ई-बसों की आपूर्ति, संचालन एवं रख-रखाव" हेतु एक अनुबंध (04 मार्च 2020) किया। डी पी आर में सात वर्षों (2019-20 से 2026-27) में किराए और विज्ञापन राजस्व आय से ₹ 36.99 करोड़ अधिक की हानि का अनुमान लगाया गया था। सभी निर्धारित मार्गों पर ई-बसों के बेड़े का संचालन फरवरी 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान किया जा सका। मार्च 2023 तक कुल ₹ 11.26 करोड़[25] की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- समान मार्गों पर संचालित परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक किराया एवं कम सेवा आवृत्ति के कारण, ई-बसों में सवारियों की संख्या कम रही, जिसके परिणामस्वरूप डी एस सी एल को ई-बस परिचालन से अनुमानित दैनिक राजस्व ₹ 3.93 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 1.29 लाख की आय हुई।
- ई-बस का वाणिज्यिक संचालन फरवरी 2021 से शुरू हो गया था, लेकिन डी एस सी एल के बोर्ड ने लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2023) तक ई-बसों में सवारियों की कम संख्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, डी एस सी एल के बोर्ड ने आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग हेतु न्यूनतम किराया ₹ 100.00 से घटाकर ₹ 10.00 करने का निर्णय लिया (नवंबर 2023)।
- डी एस सी एल ने प्राप्त राजस्व का कोई विश्लेषण नहीं किया था क्योंकि वह फरवरी 2021 से जून 2023 तक की अवधि के लिए प्रत्येक मार्ग से अर्जित मासिक राजस्व का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा। माह जुलाई 2023 के राजस्व के लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पता चला कि ई-बसों में औसत सवारी प्रति यात्रा 3 से 13 यात्रियों के बीच रही, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.4*** में दर्शाया गया है। ई-बसों में कम सवारी की इस समस्या की आगे संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान भी पुष्टि हुई (17 नवम्बर 2023), जो लेखापरीक्षा टीम द्वारा डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या 3 से 12 के बीच पाई गई। सबसे कम सवारी, केवल तीन यात्रियों के साथ,

---

[24] मै. ई वी ई वाई ट्रांस (यू के एस) प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।

[25] ₹ 11.26 करोड़ = ₹ 14.62 करोड़ (संचालन व्यय) - ₹ 3.36 करोड़ (मार्च 2021 से मार्च 2023 तक प्राप्ति)।

आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग पर दर्ज की गई, जैसा कि नीचे दिये गये ***चित्र-2.3*** एवं ***2.4*** में दर्शाया गया है:

चित्र-2.3 एवं 2.4: न्यूनतम सवारियाँ, जैसा कि आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग पर मात्र तीन यात्री देखे गए

- वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक बसों के परिचालन पर विज्ञापनों के माध्यम से अनुमानित अतिरिक्त आय ₹ 1.01 करोड़ थी। हालाँकि, डी एस सी एल ने इस अतिरिक्त राजस्व को अर्जित करने के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाई थी।

इस प्रकार, डी एस सी एल ने हानि को कम करने के लिए विज्ञापनों से अतिरिक्त राजस्व सृजित करने की रणनीति तलाशने, किराए और मार्गों की समीक्षा करने तथा बसों के फेरे निर्धारित करने जैसी कोई सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार किए बिना ही परियोजना का संचालन किया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि राजस्व सृजन के लिए विज्ञापन, जैसी योजनाएं, जल्द ही लागू की जाएंगी। यह भी अवगत कराया गया कि सवारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्गों पर बसों को पुनः आवंटित किया गया है। हालाँकि, इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

2.4.5 स्मार्ट रोड परियोजना

स्मार्ट रोड की परिकल्पना उपयुक्त सड़क अवसंरचना और सहायक आई टी घटकों के संयोजन के रूप में की गई थी, जो वाहन चालकों, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सहजता से चलने में सहायता करेगी।

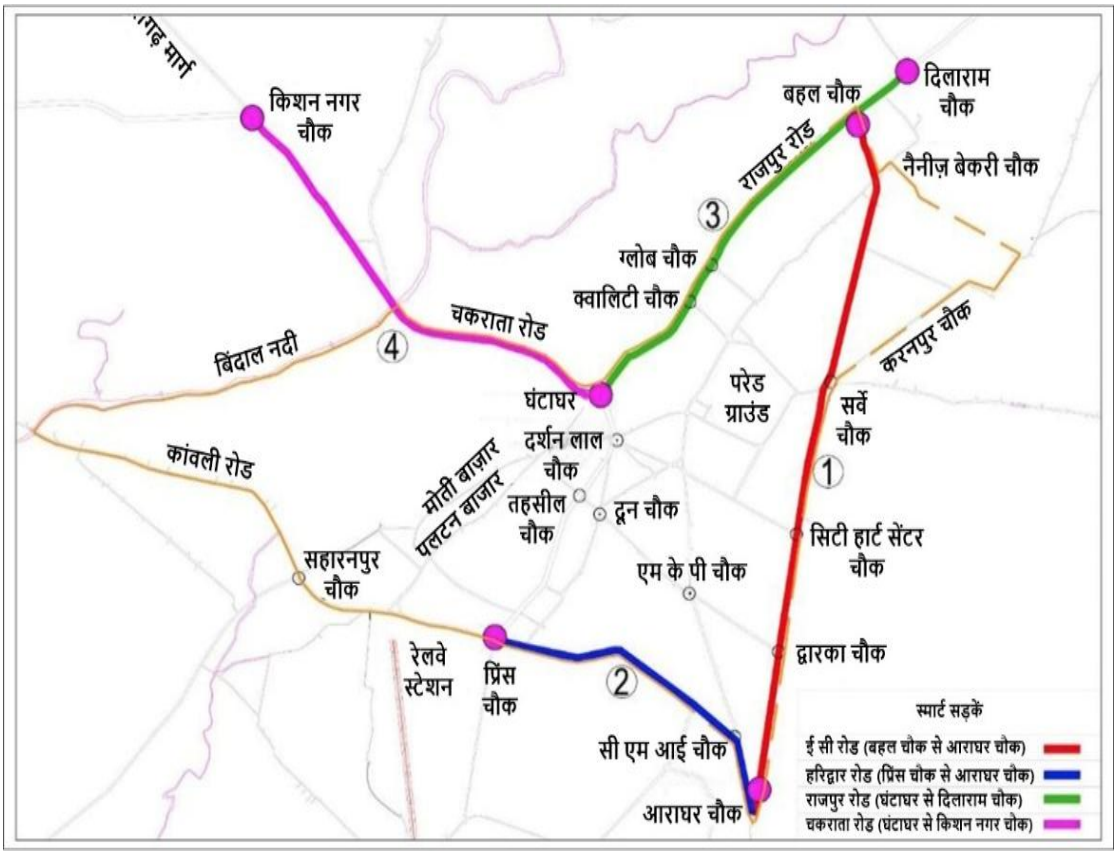

चित्र-2.5: चार मुख्य मार्ग जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है

परियोजना के अंतर्गत, देहरादून शहर के ए बी डी क्षेत्र में उपरोक्त मानचित्र ***(चित्र-2.5)*** में दर्शाए गए एवं निम्न **तालिका-2.3** में विस्तृत 8.1 किमी की कुल लंबाई वाले चार प्रमुख मार्गों को स्मार्ट रोड घटकों के साथ एकीकृत सड़क अवसंरचना कार्यों के कार्यान्वयन के लिए चयनित किया गया था। ये मार्ग शहर के मुख्य क्षेत्र को घेरते हैं, जहाँ अधिकांशतः व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं।

तालिका-2.3: चयनित मार्गों का उनकी लंबाई सहित विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	से	तक	लम्बाई (किमी में)
1	ई सी मार्ग	बहल चौक	आराघर चौक	2.9
2	हरिद्वार मार्ग	प्रिंस चौक	आराघर चौक	1.5
3	राजपुर मार्ग	घंटाघर	दिलाराम चौक	1.8
4	चकराता मार्ग	घंटाघर	किशन नगर चौक	1.9
कुल लम्बाई				***8.1***

परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 190.54 करोड़ अनुमोदित (मार्च 2019) थी, जिसे ₹ 12.79 करोड़ के सेंटेज एवं ₹ 2.00 करोड़ की यूटिलिटी शिफ्टिंग के अतिरिक्त मल्टी

यूटिलिटी डक्ट्स[26] (एम यू डी) की लागत में ₹ 1.55 करोड़ की वृद्धि के कारण संशोधित करके ₹ 206.88 करोड़ कर (नवंबर 2020) दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ देखी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.4.5.1 स्मार्ट फीचर्स का निष्पादन न होना

स्मार्ट रोड परियोजना के दायरे में पेवमेंट को मजबूत कर सड़क का उन्नयन, नालियों का प्रावधान, एम यू डी, सीवरेज कार्य, भूमिगत जलापूर्ति लाइनें, पैदल यात्रियों के अनुकूल फुटपाथ एवं क्रॉसिंग, व्यवस्थित पार्किंग और तकनीकी तत्वों का समावेश शामिल है, जो सड़क का उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराएंगे।

यह पाया गया कि डी पी आर में परिकल्पित 'स्मार्ट समाधान' या तो आंशिक रूप से क्रियान्वित किए गए (यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ कैरिजवे एवं डेडिकेटिड पैदल यात्री मार्ग) या क्रियान्वित नहीं किए गए (इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पेड़ेस्ट्राइन क्रॉसिंग इन टेबल टॉप टाइप क्रॉसिंग, सेंसर के साथ स्मार्ट एल ई डी लाइटिंग एवं सेंसर के साथ नामित पार्किंग स्थल) सिवाय एम यू डी के, जिसमें बिजली के तारों को भूमिगत करना शामिल था। परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट रोड में स्मार्ट फीचर्स के क्रियान्वयन की स्थिति ***परिशिष्ट-2.1*** में दी गई है।

इस प्रकार, कार्य के दायरे से 'स्मार्ट समाधान' को हटाए जाने के कारण 'स्मार्ट समाधान' से महत्व हट कर केवल बुनयादी अवसंरचना कार्य में परिवर्तित हो गया और स्मार्टनेस, जैसा कि एस सी एम का उद्देश्य था, को दर्शाने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए।

इसके अतिरिक्त, पी डब्ल्यू डी के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे समर्पित पैदल रास्ते विषम थे, अर्थात, विभिन्न स्थानों पर रास्ते असमतल एवं अलग-अलग चौड़ाई के थे। निर्मित पैदल यात्री मार्गों पर अतिक्रमण, पेड़, विद्युत उपकरण एवं अन्य अवरोध भी देखे गए।

---

[26] मल्टी यूटिलिटी डक्ट्स (एम यू डी), जिसे यूटिलिटी टनल या कॉमन डक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक भूमिगत संरचना है जिसमें बिजली, पानी, दूरसंचार, सीवेज एवं गैस लाइनें जैसी कई उपयोगिता सेवाएँ एक ही वाहिका में होती हैं।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि परियोजना के लिए कोई नई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और सभी कार्य रेट्रोफिटिंग उपायों के साथ मार्ग के राइट ऑफ वे में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि चयनित स्थलों पर भारी यातायात एवं जगह की कमी के कारण नियोजित कार्य करना अव्यावहारिक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों पर योजना स्तर पर विचार कर समाधान किया जाना चाहिए था।

2.4.5.2 मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर ₹ 3.24 करोड़ का निरर्थक व्यय

लेखापरीक्षा ने यह पाया गया कि अत्यंत धीमी प्रगति के कारण ब्रिज एण्ड रूफ (इंडिया) लिमिटेड (बी एवं आर) के साथ एम ओ यू की समाप्ति (सितंबर 2022) के पश्चात, डी एस सी एल, बी एवं आर तथा ठेकेदार को शामिल करते हुए, किए गए कार्य का संयुक्त मूल्यांकन किया गया (अप्रैल 2023) था। मूल्यांकन से पता चला (02 मई 2023) कि बी एवं आर ने तीन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 248.99 करोड़[27] में से मात्र ₹ 53.57 करोड़ (21.51 *प्रतिशत*) लागत के ही कार्य निष्पादित (जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक) किए थे, जिसमें केबल ट्रे, प्रीकास्ट एम यू डी, पेवर ब्लॉक सामग्री आदि जैसी अप्रयुक्त सामग्री भी शामिल थी, जिसका मूल्य ₹ 3.58 करोड़ था, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित है।

अप्रयुक्त सामग्रियों को बाद में पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को हस्तांतरित किया गया था। हस्तांतरित सामग्रियों में 787 प्रीकास्ट एम यू डी थे। हालाँकि, पी आई यू-पी डब्ल्यू डी ने केवल 51 एम यू डी का ही उपयोग किया, शेष कार्य के लिए प्री-कास्ट एम यू डी की व्यवहार्यता न होने के कारण विकल्प के रूप में डक्ट बैंक का चयन किया गया। परिणामस्वरूप, 736 एम यू डी इकाइयों पर ₹ 3.24 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित है।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (30 मई 2024) कि स्मार्ट रोड के मार्ग में विभिन्न विभागों की भूमिगत यूटिलिटी के कारण एम यू डी

---

[27] स्मार्ट रोड: ₹ 203.23 करोड़; इंटीग्रेटेड सीवरेज; ₹ 28.41 करोड़ एवं इंटीग्रेटेड ड्रैनेज: ₹ 17.35 करोड़।

बिछाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात डक्ट बैंक का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) में शासन ने यह भी अवगत कराया कि जिले के अंतर्गत पी डब्ल्यू डी के सभी क्षेत्रीय प्रभागों को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर पी आई यू-पी डब्ल्यू डी से पूर्व-निर्मित एम यू डी प्राप्त कर सकते हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्मार्ट रोड के मार्गों में विभिन्न विभागों की भूमिगत उपयोगिताओं की मौजूदगी से संबंधित मुद्दों की पहचान योजना बनाते समय ही की जानी चाहिए थी। तदनुसार, डक्ट बैंक का प्रावधान डी पी आर में शामिल किया जाना चाहिए था।

2.4.6 पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार

पलटन बाज़ार देहरादून का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बाज़ार है। पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार परियोजना, जिसकी स्वीकृत (जुलाई 2019) लागत ₹ 13.10 करोड़ थी, का उद्देश्य घंटाघर से दर्शनी गेट तक 1.2 किमी के हिस्से का सुधार करना था। इसमें, 476 मीटर मार्ग को पैदल-यात्री मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गयी थी, जिसमें दोनों तरफ 2.5 मीटर पैदल यात्री एवं गोल्फ कार्ट एवं सीमित समय के लिए वाहनों की आवाजाही हेतु पाँच मीटर केंद्रीय मार्ग निर्मित किया जाना था। केंद्रीय पाँच मीटर कैरिजवे को इंटरलॉक पेवर ब्लॉक से वाहनों की प्रतिबंधित आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोनों तरफ औसतन 2.5 मीटर की चौड़ाई का फुटपाथ, सड़क की सतह के साथ समान स्तर बनाए रखते है।

परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कई स्मार्ट फीचर्स' जैसे बेंच, चार्जिंग स्टेशन के साथ ई-कार्ट, मॉड्यूलर एफ आर पी शौचालय, मोटर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए रेट्रेक्टेबल हाइड्रोलिक बोलार्ड की स्थापना आदि की डी पी आर में परिकल्पना की गई (जून 2019) थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में वर्णित है।

यह पाया गया कि एम यू डी की स्थापना के अतिरिक्त कोई भी 'स्मार्ट समाधान' क्रियान्वित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि अन्य 'स्मार्ट समाधान' जैसे ई-कार्ट, कियोस्क गार्डन, हाइड्रोलिक बोलार्ड इत्यादि को डी एस सी एल बोर्ड के अनुमोदन (अप्रैल 2022) पर हटा दिये गए क्योंकि जगह की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान

स्थिति में इनकी व्यवहार्यता समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, कार्य के दायरे से 'स्मार्ट समाधान' को हटा दिए जाने के कारण, एस सी एम में परिकल्पित स्मार्ट शहरों के उद्देश्य विफल हो गए क्योंकि ध्यान बुनियादी ढाँचे के काम पर परिवर्तित हो गया जैसा कि निम्न ***चित्रों-2.6*** (पहले) ***एवं 2.7*** (बाद में) में देखा जा सकता है:

पहले

चित्र-2.6

बाद में

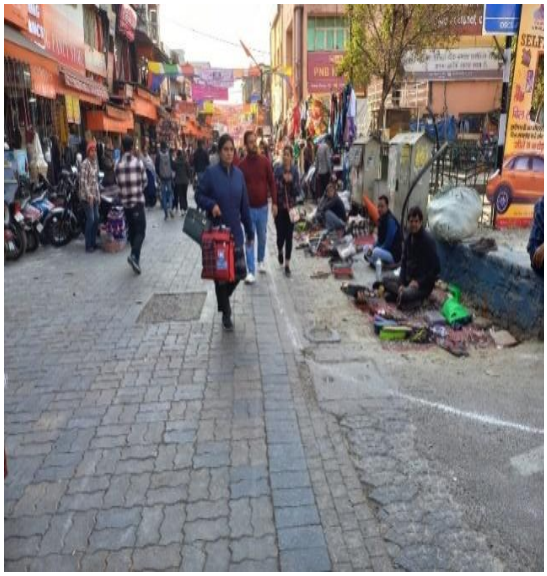

चित्र-2.7

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुये अवगत (30 मई 2024) कराया कि साइट की स्थितियों और स्थान की कमी के कारण बोर्ड की विशेष स्वीकृति के साथ स्मार्ट फीचर्स की तुलना में मुख्य सिविल बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था।

2.4.7 परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार

परेड ग्राउंड का क्षेत्रफल लगभग 25 एकड़ है, जिसमें से एस सी एम के अंतर्गत 10.5 एकड़ क्षेत्र को ₹ 20.87 करोड़ की स्वीकृत (16 जुलाई 2019) लागत से विकसित किया जाना था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभाजित स्थानों को पैदल यात्री और गतिशील परिवर्तनकारी क्षेत्र में परिवर्तित करना था। यह कार्य 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण होना था। लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2023) तक, ₹ 14.95 करोड़[28] के व्यय के साथ कार्य प्रगति पर था। उक्त परियोजना के निष्पादन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

[28] ₹ 14.95 करोड़ = ₹ 11.40 करोड़ (फरवरी 2023 में अनुबंध की समाप्ति से पहले ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य) + ₹ 3.08 करोड़ (नवंबर 2023 तक पी आई यू-पी डब्ल्यू डी द्वारा किए गए कार्य की लागत) + ₹ 0.47 करोड़ (प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किए गए सड़क निर्माण कार्य की लागत)।

2.4.7.1 उचित रख-रखाव का अभाव

परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार पर किए गए ₹ 14.95 करोड़ के व्यय में बागवानी और स्प्रिंकलर के लिए एम डी पी ई पाइप उपलब्ध कराने और लगाने पर व्यय की गई राशि ₹ 18.04 लाख भी शामिल थी। यह पाया गया कि परियोजना क्रियान्वयन के दौरान परेड ग्राउंड पर बिछाई गई घास क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे प्रिंट मीडिया द्वारा भी उजागर (15 फरवरी 2024) किया गया। इससे इंगित होता है कि परेड ग्राउंड पर बिछाई गई घास का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

सुंदरता पर खर्च किए 15 करोड़, अब रखरखाव बना चुनौती

स्मार्ट सिटी कंपनी परेड ग्राउंड को एमडीडीए को सौंपने की कर रही तैयारी, लाखों रुपये की घास हो रही खराब

सरकार ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि वर्तमान में परेड ग्राउंड अच्छी स्थिति में है, और इसके रख-रखाव को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए उचित संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि परियोजना को, संचालन और रख-रखाव के लिए एम डी डी ए को सौंप दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि जून 2024 तक परियोजना एम डी डी ए को नहीं सौंपी गई थी।

2.4.7.2 वी आई पी स्टेज के निर्माण पर निरर्थक व्यय

₹ 20.87 करोड़ की लागत वाली 'परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार' परियोजना की डी पी आर में गणतंत्र दिवस समारोहों और विशाल रैलियों या सभाओं को संबोधित करने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए वी आई पी मंच का निर्माण भी शामिल था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा, डी पी आर में परिकल्पित वी आई पी मंच का निर्माण कार्य ₹ 31.30 लाख की लागत से पूर्ण (फरवरी 2021) कर लिया गया था। हालाँकि, बाद में ₹ 84.11 लाख की लागत से एक नया वी आई पी मंच निर्मित

किया गया (25 जुलाई 2023)। यह नया वी आई पी मंच पूर्व में निर्मित किए गए मंच के विपरीत था, जैसा कि नीचे दिये गए ***चित्र-2.8*** में देखा जा सकता है, क्योंकि पहला मंच समग्र परेड का व्यापक दृश्य नहीं देता था, तथा उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करते समय अपना असंतोष व्यक्त किया था।

चित्र:-2.8: परेड ग्राउंड में निर्मित दो वी आई पी मंचों का दृश्य

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि नए मंच का निर्माण आवश्यक समझा गया क्योंकि यह देखा गया कि, विशेष कर गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, मूल मंच गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी और विशाल सभाओं को संबोधित करने की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने यह भी अवगत कराया कि छोटे मंच का उपयोग छोटे समारोहों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े मंच का उपयोग गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दशहरा समारोह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है।

शासन का उत्तर प्रथम मंच को डिजाइन करते समय बड़े आयोजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दूरदर्शिता में कमी को इंगित करता है। कुशल योजना में, छोटे एवं बड़े दोनों तरह के आयोजनाओं को पूरा करने में सक्षम मंच की आवश्यकता का, अनुमान लगाया जाना चाहिए था। दूसरे मंच का निर्माण प्रारंभिक योजना में हुई चूक के लिए एक सुधारात्मक उपाय प्रतीत होता है, जिसके कारण अवसंरचना का अनावश्यक दोहराव और सार्वजनिक धन का अकुशल उपयोग हुआ।

2.4.8 सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन

डी एस सी एल ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (ए एफ डी), जिसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा आयोजित सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन (सिटीस) स्पर्धा के लिए 'चाइल्ड फ्रेंडली सिटी' शीर्षक से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसका उद्देश्य एस सी एम की परियोजनाओं के टिकाऊ, नवप्रवर्तनकारी एवं सहभागीदारी दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देना था। एक प्रतिस्पर्धी स्पर्धा के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने चार व्यापक विषयों: टिकाऊ गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, ई-गवर्नेंस एवं आई सी टी तथा कम आय वाली बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार, पर 12 प्रस्तावों का चयन किया।

प्रारम्भ में, यह परियोजना संशोधित एस सी पी का हिस्सा नहीं थी। हालाँकि, चयनित स्मार्ट शहरों में से अखिल भारतीय स्पर्धा के माध्यम से सिटीस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए देहरादून का चयन (फरवरी 2019) किया गया था। इस परियोजना में स्कूलों के आसपास विशिष्ट क्रियाकलाप पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव था। इसमें यातायात नियंत्रित करने के उपायों[29] और सी सी टी वी कैमरा, पार्किंग ज़ोन, बोलार्ड एवं फ़ुटपाथ जैसे क्रियाकलाप शामिल थे। इस कार्यक्रम के दो चरणों में देहरादून शहर के कुल 106 स्कूलों[30] एवं कॉलेजों को शामिल किया गया था, जिसकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 58.50 करोड़ थी। परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट फीचर्स की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में उल्लेखित है।

चित्र-2.9

लेखापरीक्षा द्वारा पी डब्ल्यू डी के प्रतिनिधियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान पाया गया कि कार्य प्रगति पर थे। हालाँकि, प्रगतिशील कार्यों में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

चित्र-2.10

[29] स्पीड टेबल/ हम्प्स और रंबल स्ट्रिप्स की स्थापना।

[30] चरण-1: 34 विद्यालय एवं चरण-II: 72 विद्यालय।

- फुटपाथ बाधा-मुक्त नहीं थे, क्योंकि उनके साथ बिजली के उपकरण लगे हुए थे, जो पैदल चलने वालों के लिए संभावित खतरा पैदा करते थे।
- सड़कों पर फुटपाथ बनाने के बजाय, कुछ स्थानों पर केवल बिटुमिनस का कार्य किया गया था (जैसा कि प्रथम ***चित्र-2.9***. में ऊपर दिखाया गया है)।
- मानकों के अनुसार पैदल पथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होनी चाहिए थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान पाया गया कि ड्राइंग में न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर रखी गई थी, इसके बावजूद, कई सड़कों में निर्मित फुटपाथों की चौड़ाई 1.5 मीटर से भी कम थी (जैसा कि द्वितीय ***चित्र-2.10*** में ऊपर दिखाया गया है)।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (30 मई 2024) कि स्थल की स्थिति एवं स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तावित सुविधाओं को लागू नहीं किया जा सका।

2.4.9 स्मार्ट शौचालय

देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डी एस सी एल ने ₹ 1.73 करोड़ की कुल स्वीकृत (नवंबर 2018) लागत के साथ स्मार्ट शौचालय परियोजना प्रारम्भ की। शौचालय का निर्माण 06 सितंबर 2019 तक पूर्ण होना था।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने परियोजना के पूर्ण होने की तिथि अर्थात 06 सितंबर 2019 से पाँच साल के लिए सात स्मार्ट शौचालय के संचालन एवं रख-रखाव सहित डिजाइन, निर्माण एवं स्थापना के लिए एक फर्म[31] के साथ ₹ 1.81 करोड़ का अनुबंध किया (07 मार्च 2019)।

डी पी आर के अनुसार, डी एस सी एल की पी एम सी टीम ने स्कोप, डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत विश्लेषण और स्थानीय जनता के साथ बातचीत करने के बाद स्थल का गहन सर्वेक्षण किया और सात स्थलों[32] का चयन किया। हालाँकि, सभी स्मार्ट शौचालय का निर्माण/स्थापना कार्य, तीन साल के विलंब के पश्चात, अंततः 03 सितंबर 2022 को पूर्ण हुआ। इस अत्यधिक विलम्ब के लिए डी एस सी एल उत्तरदायी था, क्योंकि यह ठेकेदार को निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथि व्यतीत हो

[31] मै. श्री राम रुरल डेव्लपमेंट संस्थान, शाहदरा, दिल्ली।

[32] परेड ग्राउंड, राजपुर रोड गांधी पार्क में, कलक्ट्रेट, एम डी डी ए कॉलोनी कांवली रोड, दून अस्पताल, रेलवे स्टेशन एवं सचिवालय।

जाने के बाद भी चार स्मार्ट शौचालय[33] हेतु बाधा मुक्त स्थल प्रदान नहीं कर सका था तथा बाद में स्थल परिवर्तन हुआ एवं चार वैकल्पिक स्थलों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, डी पी आर/अनुबंध में परिकल्पित स्मार्ट फीचर्स, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में विस्तृत रूप से वर्णित है, को निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ पाँच शौचालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (25 नवंबर 2023) और पाया कि सभी शौचालय उचित सफाई और कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ संचालित थे। हालाँकि, तीन स्मार्ट शौचालयों[34] में ऑटो फ्लश यूरिनल सिस्टम कार्यरत नहीं थे एवं दो स्मार्ट शौचालयों[35] में पानी के नल के सेंसर भी कार्यरत नहीं थे।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (30 मई 2024)। उसने यह भी अवगत कराया कि नल या फ्लशिंग सिस्टम से संबंधित रख-रखाव के मुद्दों को नियमित आधार पर ठीक किया जाता है। वर्तमान में, सभी इकाइयाँ साफ हैं और ठीक से कार्यरत हैं।

2.4.10 जल आपूर्ति आवर्धन एवं स्मार्ट जल मीटर

मीटर कनेक्शन के अभाव में पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एस सी एम के अंतर्गत जलापूर्ति क्षेत्र के जोन-4बी में ₹ 36.40 करोड़ की अनुबंधित लागत से "जल आपूर्ति आवर्धन एवं स्मार्ट जल मीटर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग" परियोजना प्रारम्भ की गई (16 दिसंबर 2019)। परियोजना के अंतर्गत, उपभोक्ता के उपभोग के आँकड़ों के त्वरित एवं सटीक संग्रह तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप एवं त्रुटियों के बिल बनाने की सुविधा के लिए स्वचालित मीटर रीडिंग (ए एम आर) सक्षम जल मीटर लगाए जाने थे। इसका उद्देश्य न केवल जल संस्थान के राजस्व में वृद्धि करना था, बल्कि पानी के दुरुपयोग को कम करना भी था।

इस परियोजना का कार्य 16 दिसंबर 2020 तक पूर्ण होना था, हालाँकि, लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2023) तक कार्य प्रगति पर था तथा ₹ 29.54 करोड़ का व्यय हुआ था।

---

[33] सब्जी मंडी (09 जुलाई 2020), आई एस बी टी (जनवरी 2021), पुरानी तहसील (03 अगस्त 2021) एवं परेड ग्राउंड-2 (05 फरवरी 2022)।

[34] दून अस्पताल, तहसील एवं कचहरी।

[35] परेड ग्राउंड-2 एवं दून अस्पताल।

6,492 ए एम आर मीटर के प्रावधान के सापेक्ष केवल 4,260 ए एम आर मीटर ही कमीशन किए गए लेकिन उनकी डिजिटल मैपिंग अभी पूर्ण नहीं हुई थी (मार्च 2024)। यह दर्शाता है कि निर्धारित तिथि से तीन साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी 2,232 ए एम आर मीटर स्थापित नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ कुछ चुनिंदा घरों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (15 मार्च 2024) और निवासियों के साथ वार्तालाप की, जिसमें यह बताया गया कि इस परियोजना ने उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित नियमित जलापूर्ति की माँग को पूरा किया है। अभी तक उन्हें नए लगाए गए स्मार्ट मीटर के आधार पर संबंधित प्राधिकरण से पानी का बिल नहीं मिला है।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि परियोजना को उत्तराखण्ड जल संस्थान (यू जे एस), जो जल वितरण और राजस्व संग्रह के लिए नोडल एजेंसी है, को सौंपे जाने के बाद मीटर्ड बिलिंग शुरू होगी। वास्तविकता यह है कि लगभग एक तिहाई ए एम आर मीटर अभी भी स्थापना के लिए लंबित हैं, यहां तक कि जो स्थापित किए भी गए हैं, उनका डिजिटल मैपिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण समय पर बिलिंग एवं जल शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही है।

2.5 केस स्टडीज़

दो परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ पर नीचे चर्चा की गई है:

केस स्टडी-1: स्मार्ट स्कूलों में 'स्मार्ट समाधान' का अक्रियाशील रहना

डी एस सी एल ने देहरादून के ए बी डी क्षेत्र में तीन सरकारी स्कूलों[36] में 'स्मार्ट स्कूल' परियोजना' लागू की। इस परियोजना के अंतर्गत तीन स्कूलों को इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट, सी सी टी वी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी स्मार्ट फीचर्स से सुसज्जित किया जाना था। यह परियोजना 01 नवंबर 2020 को ₹ 5.91 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई।

लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (12 दिसंबर 2023) के समय पाया कि एस सी एम के अंतर्गत तीनों स्कूलों में स्थापित

[36] राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजपुर रोड; राजकीय इंटर कॉलेज, खुरबुड़ा और राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, खुरबुड़ा, देहरादून।

कोई भी सुविधा क्रियाशील नहीं थी। उनके निष्क्रिय रहने का मुख्य कारण वित्तीय बाधाओं की वजह से स्कूलों द्वारा भारी बिजली बिलों को वहन करने में असमर्थता थी। संचालन एवं रख-रखाव अवधि यानी नवंबर 2020 से नवंबर 2023 तक, डी एस सी एल ने बिजली बिल का भुगतान किया; हालाँकि, इस अवधि की समाप्ति के पश्चात, स्थापित सुविधाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि स्मार्ट स्कूल परियोजना को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया गतिमान है। वास्तविकता यह है कि परियोजना को संचालन एवं रख-रखाव अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया, जिसके कारण जून 2024 तक स्थापित सुविधाएं अक्रियाशील रही।

केस स्टडी-2: स्मार्ट वेस्ट वाहनों का अक्रियाशील रहना

संशोधित एस सी पी में स्मार्ट बिन और स्मार्ट वेस्ट वाहनों (एस डब्ल्यू वी) के लिए ₹ 13 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया था। तदनुसार, नगर निगम, देहरादून[37] ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले एस डब्ल्यू वी और स्मार्ट बिन प्रदान करने के लिए डी एस सी एल को अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि उपरोक्त वाहन/ उपकरण या तो डी एस सी एल द्वारा खरीदे जाए या नगर निगम, देहरादून को निधि प्रदान की जाए।

तदनुसार, डी एस सी एल ने ₹ 5.60 करोड़ की लागत से 51 एस डब्ल्यू वी और स्वच्छता उपकरण खरीदे एवं नगर निगम, देहरादून को आपूर्ति की (जून 2022) तथा अन्य 100 एस डब्ल्यू वी की खरीद के लिए नगर निगम, देहरादून को ₹ 7.14 करोड़[38] भी प्रदान किए। इसी तरह, डी एस सी एल ने यू जे एस को ₹ 63.98 लाख के लागत की एक सीवर कम जेटिंग मशीन की भी आपूर्ति की (मई 2021)। इसके अतिरिक्त, इसने दो मशीनों[39] की खरीद के लिए यू जे एस को ₹ 1.98 करोड़ भी अवमुक्त किए (मार्च 2023)।

---

37 अक्टूबर 2021 (20 ई-रिक्शा एवं 20 हूपर/टिपर) और अक्टूबर 2022 (75 हूपर/टिपर, चार रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, एक टाटा 407 ट्रक, एक जे सी बी और 50 कॉम्पैक्टर बीन्स)।

38 ₹ 7.14 करोड़ = ₹ 4.60 करोड़ (जनवरी 2023) + ₹ 2.54 करोड़ (मई 2023)।

39 जेटिंग गार्बिंग एवं रॉडिंग मशीन एवं डंप टैंक के साथ सुपर शकर मशीन।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल द्वारा नगर निगम, देहरादून को आपूर्ति किए गए 51 एस डब्ल्यू वी में से 20 इलेक्ट्रिक कार्ट/रिक्शा थे, जिनकी कीमत ₹ 89.86 लाख थी। लेखापरीक्षा द्वारा नगर निगम, देहरादून के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (30 नवंबर 2023) में पाया गया कि सभी ई-कार्ट बेकार पड़े थे। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम, देहरादून द्वारा नियुक्त एजेंसियों ने बताया कि उच्च बैटरी चार्जिंग लागत और कार्ट की कम क्षमता के कारण सितंबर 2022 से ई-रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया था।

चित्र-2.11: सहस्त्रधारा रोड पर होटल डाउन टाउन के पीछे मै. इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की पार्किंग

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि ई-रिक्शा के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डी एस सी एल नगर निगम, देहरादून के साथ समन्वय कर रहा है।

वास्तविकता यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बाद ही प्रबंधन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्ति, लगभग दो वर्षों तक ई-रिक्शा का संचालन न होना, एस सी एम के अंतर्गत सृजित की गई ₹ 89.86 लाख की परिसंपत्तियों के प्रबंधन में डी एस सी एल के साथ-साथ नगर निगम, देहरादून के सुसंगत और सक्रिय प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.6 परियोजनाओं की स्थिरता की समीक्षा

आत्मनिर्भर परियोजनाएं बाहरी निधियों या सहायता पर निर्भर नहीं रहती, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये परियोजनाएं अपने स्वयं के वित्तपोषण को सुरक्षित करके या आय उत्पन्न करके यह

सुनिश्चित करती हैं कि वे बाहरी दान या अनुदान पर निर्भर हुए बिना परिचालन जारी रख सकें। चूंकि वे स्वयं अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, इसलिए हितधारक अक्सर परियोजना की सफलता में अधिक रुचि रखते हैं और इसके परिणामों के लिए अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। परियोजना की स्थिरता से संबंधित मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

2.6.1 राजस्व सृजन परियोजनाएं

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 10.1 में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एस पी वी को एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व प्रवाह उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी स्वयं की साख विकसित कर सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 परियोजनाओं में से मात्र चार परियोजनाएं ही राजस्व सृजन करने वाली थी। उनकी राजस्व प्राप्ति का विवरण नीचे **तालिका-2.4** में दिया गया है:

तालिका-2.4: मार्च 2023 तक प्राप्त राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राजस्व गणना के प्रारम्भ की तिथि	प्राप्त होने वाला राजस्व	वास्तविक राजस्व प्राप्ति
1	इलैक्ट्रिक बस	फरवरी 2021	29.62	3.36
2	स्मार्ट पोल	दिसम्बर 2020	1.46	0.32
3	जल ए टी एम	सितम्बर 2021	0.12	0.09
4	स्मार्ट जल प्रबंधन (स्काडा)[40]	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (सितंबर 2021)	5.30	0.00
योग			***36.50***	***3.77***

हालाँकि, अनुबंध दस्तावेज़ों में अनुमानित ₹ 36.50 करोड़ के सापेक्ष प्राप्त राजस्व बहुत कम (10.32 *प्रतिशत*) था, खासकर ई-बस के प्रकरण में जैसा कि पूर्ववर्ती ***प्रस्तर 2.4.4*** में चर्चा की गई है। कम राजस्व प्राप्ति के कारणों में ई-बसों में सवारियों की अत्यंत कम संख्या, स्मार्ट पोल और जल ए टी एम की स्थापना के लिए आवश्यक स्थलों की अनुपलब्धता तथा स्काडा परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि देहरादून में स्मार्ट सिटी पहल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु परिचालन दक्षता में वृद्धि एवं साझेदारी को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, नए राजस्व सृजन के अवसरों की खोज की जाएगी।

[40] स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अनुमानित बचत।

2.7 उत्तम परिपाटियाँ

निम्नलिखित परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तम परिपाटियाँ देखी गयीं:

2.7.1 स्मार्ट जल प्रबंधन

जल हानि, भंडारित जलाशयों से पानी का अनियमित वितरण और अक्षम इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग मशीनरी और अन्य उपकरणों से संबंधित समस्या को हल करने के लिए, एस सी एम के अंतर्गत ₹ 53.40 करोड़ की लागत की "स्मार्ट जल प्रबंधन (स्काडा)" परियोजना स्वीकृत की गई थी (16 जुलाई 2019)। परियोजना के अंतर्गत, स्काडा[41] से जुड़ें नलकूपो, ओवरहेड टैंक और बूस्टर पंपिंग स्टेशनो को स्वचालित किया गया, जिसका उद्देश्य देहरादून में जलापूर्ति को अनुकूलतम बनाना था। इस योजना में 198 नलकूपों और 72 ओवरहेड टैंकों का पूर्ण स्वचालन शामिल था, जो मात्रात्मक और गुणात्मक निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे तथा सभी कुशल प्रबंधन के लिए स्काडा के साथ एकीकृत होंगे।

डी एस सी एल, ठेकेदार[42] और यू जे एस के मध्य गठित त्रिपक्षीय अनुबंध (सितंबर 2020) के अनुसार, ठेकेदार सभी नलकूपों और ओवरहेड टैंक पर वर्तमान ऊर्जा खपत लागत में अनिवार्य 10 *प्रतिशत* की बचत हासिल करने के लिए बाध्य था, जिसे आधारभूत आँकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जाना था और ऊर्जा खपत लागत में किसी भी अतिरिक्त बचत का 25 *प्रतिशत,* जो उपर्युक्त 10 *प्रतिशत* अनिवार्य बचत से अधिक प्राप्त किया जाए, डी एस सी एल के साथ साझा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी एस सी एल ने परियोजना को लागू करने के लिए ई एस सी ओ मॉडल[43] का चयन एवं ₹ 25.07 करोड़ का उपरोक्त त्रिपक्षीय अनुबंध किया, जिसमें 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रख-रखाव भी शामिल था। इस अनुबंध के अंतर्गत, ठेकेदार ने ऊर्जा-कुशल पंपिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी की लागत को वहन किया। परिणामस्वरूप, डी एस सी एल ने परियोजना लागत पर ₹ 28.33 करोड़[44] की बचत की।

---

41 सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन।

42 मै. जी सी के सी प्रोजेक्ट एवं वर्क प्राइवेट लिमिटेड।

43 ऊर्जा बचत साझेदारी मॉडल (ई एस सी ओ) में, ठेकेदार सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है और उसे 'अनिवार्य बचत' और इसके अतिरिक्त ऊर्जा बिल में 'अतिरिक्त अपेक्षित बचत' को ध्यान में रखते हुए सेवा की कीमत उद्धृत करनी होती है।

44 स्वीकृत लागत ₹ 53.40 करोड़ - अनुबंध लागत ₹ 25.07 करोड़।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि परियोजना निर्धारित समय अर्थात 17 सितंबर 2021 से 19 माह के विलम्ब के बाद प्रारम्भ (मई 2023) हुई और तब से दिसंबर 2023 तक, डी एस सी एल ने ऊर्जा की कम खपत से ₹ 11.97 करोड़[45] की बचत की। अनुबंध के अनुसार, यह राशि डी एस सी एल (₹ 5.96 करोड़) और ठेकेदार (₹ 6.01 करोड़) के बीच साझा[46] की जानी थी। हालाँकि, उपरोक्त बचत के लिए धनराशि वर्तमान तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी।

2.7.2 दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर

दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर परियोजना में पाये गए कुछ सकारात्मक परिणाम एवं उत्तम परिपाटियाँ निम्नलिखित हैं:

1. ***यातायात प्रबंधन:*** आई टी एम एस 09 नवंबर 2020 से परिचालन में आया। आई टी एम एस एप्लिकेशन के माध्यम से चिन्हित किए गए उल्लंघनों के आधार पर यातायात पुलिस ने वर्ष 2020-21 से नवम्बर 2023 तक कुल 1,73,618 चालान जारी किए तथा ₹ 5.05 करोड़ का राजस्व एकत्र किया।
2. ***सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा प्रकरण:*** शहर भर में स्थापित निगरानी कैमरों की फुटेज के आधार पर, डी आई सी सी सी ने पुलिस विभाग को 748 सूचनाएँ प्रदान कीं, जिससे पुलिस को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। कुछ सुलझे हुए मामलों में डी आई सी सी सी दल द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरागों के आधार पर एक लापता बच्चे का पता लगाना, तथा कैमरे में कैद दुर्घटना की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप एम्बुलेंस और पुलिस का दुर्घटनास्थल पर शीघ्र पहुँचना शामिल है।
3. ***नगर प्रशासन को सहायता:*** डी आई सी सी सी ने शहर में डेंगू प्रकोप (सितंबर-अक्टूबर 2023) के दौरान नगर प्रशासन की सहायता की, जिससे मरीजों को समय पर रक्त और प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। डेंगू नियंत्रण हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित की गई।

---

[45] ₹ 11.97 करोड़ = ₹ 39.62 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना लागू न होने पर बिजली बिल) - ₹ 27.65 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के बाद बिजली बिल)।

[46] डी एस सी एल का हिस्सा ₹ 39.62 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना लागू न होने पर बिजली बिल) का 10 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3.96 करोड़, और शेष बचत ₹ 8.01 करोड़ (₹ 11.97 करोड़ - ₹ 3.96 करोड़) का 25 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 2.0 करोड़ था। ठेकेदार का हिस्सा ₹ 6.01 करोड़ (₹ 11.97 करोड़ - डी एस सी एल का हिस्सा ₹ 5.96 करोड़) था।

4. ***उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कार:*** कोविड-19 महामारी के दौरान, डी आई सी सी सी में एक वॉर रूम स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से पुलिस और नागरिकों की सहायता के लिए जी आई एस ट्रैकर, 24x7 समर्पित हेल्पलाइन, राज्य स्तरीय ई-पास आदि जैसी नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान की गईं। इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डी एस सी एल को 100 स्मार्ट शहरों में से एक्सपो-6 स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड-2021 से सम्मानित किया गया।

2.8 अनुशंसाएँ

1. ***राज्य सरकार को परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना चाहिए तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित गैर-परिचालन बुनियादी ढाँचे का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।***
2. ***राज्य सरकार को वास्तविक और अनुमानित राजस्व के बीच अंतर को कम करने के लिए राजस्व बढ़ाने और स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित बुनियादी ढाँचे के सतत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए।***
3. ***सार्वजनिक धन के अनियोजित और अकुशल उपयोग, जिससे दोहराव और निष्फल व्यय होता है, के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।***